न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **एस0एस0 अली**
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक–1192–तीन/2000 विरूद्ध आदेश दिनांक 07–04–2000 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–49/अ–6/1987–88

.....

1– विशेषर प्रसाद तनय रामकृपाल

2– विश्वनाथ प्रसाद तनय रामविशाल

निवासीगण–ग्राम मुहिया तहसील सिरमौर

जिला–रीवा(म0प्र0)

------आवेदकगण

विरूद्ध

साधूराम तनय राम निरंजनराम

निवासी–ग्राम बेलवा पेकान, तहसील सिरमौर

जिला–रीवा(म0प्र0)

------अनावेदक

.....

श्री एस0के0 वाजपेयी, अभिभाषक, आवेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/7/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–04–2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, वृत्त बैकुण्डपुर, तहसील–सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 229/अ–6/1987–88 में पारित आदेश दिनांक 04.02.85 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 54/अ–6/1984–85 में पारित आदेश दिनांक 09.12.87 द्वारा स्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील

अनावेदक द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें दिनांक 07.04.2002 को आदेश पारित कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के प्रश्नाधीन आदेशों को निरस्त करते हुये वादग्रस्त भूमि पुनः मूल भूमिस्वामी अनावेदक साधूराम के भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 1604 रकबा 1.52 एकड़ का विक्रय पत्र सम्पादित किया गया था, लेकिन अनावेदक के निरक्षरता का लाभ उठाकर अन्य 13 सर्वे नम्बरों का कुल किता 14.64 एकड़ का विक्रय पत्र सम्पादित कर लिया । अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अन्य सर्वे नम्बर पर अनावेदक का कब्जा लगातार बना हुआ है। नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में 1611 रकबा में काट पीट की गई है। नामांतरण नियम का पालन नहीं किया गया । इस्तहार, प्रकाशन विधिवत नहीं किया गया है तथा हितबद्ध पक्षकारों का व्यक्तिशः सूचना भी नहीं दी गई। अपर आयुक्त द्वारा विक्रय विलेख का निस्पादन को संदेह से परे नहीं माना है । इसी कारण अपर आयुक्त रीवा ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को निरस्त करते हुये वादग्रस्त समस्त भूमि पुनः मूल भूमिस्वामी अनावेदक साधूराम के भूमिस्वामी स्वत्व में दर्ज करने का आदेश दिया । अपर आयुक्त द्वारा विस्तार से विवेचना कर विचरण न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों को निरस्त किया है, जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि प्रकट नहीं होती । आवेदकगण चाहे तो अपने स्वत्व के संबंध में व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने के लिये स्वतंत्र है। दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त के आदेश को स्थिर रखा जाता है।

4/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा का आदेश दिनांक 07.04.2000 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश,
ग्वालियर,